की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित

11.02.2020

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–66/2019

सरोजिका महापात्रा —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अन्तर्गत मौजा–केशरकुरल, थाना नं0–239, खाता नं0–46, प्लॉट नं0–1361/3, रकवा–**0.0038** एकड़ एवं प्लॉट नं0–1362/1, रकवा–**0.0172** एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है, जबकि कृर्षि भूमि के दर पर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। मुआवजा राशि का भुगतान वर्ष 2010–11, 11–12 एवं 12–13 के आधार पर किया गया है, जबकि आवेदक वर्ष 2016–17 के आधार पर आवासीय दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को उक्त भूमि का 26,71,269.00 रू0 मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि पंचाट में मुआवजा राशि 27,16,994.00 रू0 बनाया गया है। आवेदक द्वारा 45,725.00 रू0 अन्तर राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा अर्जित भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI को निदेश दिया जाता है कि अर्जित भूमि पर अवस्थित संरचना वाले भूखण्ड का आवासीय प्रकृति पर जॉचोपरान्त नियमानुसार मुआवजा राशि की पुर्नमूल्यांकन कर निर्धारित दर पर मुआवजा राशि का भुगतान आवेदक को करना सुनिश्चित करें, तथा बिना संरचना वाले खाली पड़े भू–खण्ड का मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में कोई अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। साथ ही पंचाट के अनुसार अन्तर राशि यदि देय हो तो नियमानुसार आवेदक को भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/2/20

अपर समाहर्त्ता,
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद

11/2/20

अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner